न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :–प्रदीपसिंह सांगावत, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 1/2022 (राजसमन्द डिक्री)

पप्पू उर्फ प्रभू पिता डुंगाराम जी ढोली,निवासीघाटा तीतरी, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. सत्यनारायण पिता गणेशलाल जी भाट, निवासी टाडगढ़, तहसील व्यावर, जिला अजमेर (राज.)
2. श्रीमती सुशीला पुत्री गणेशलाल जी पत्नी अर्जुनलाल जी भाट, निवासी कुकरखेड़ा, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
3. श्रीमती लक्ष्मी पुत्री गणेशलाल जी पत्नी मंगलाराम जी भाट, निवासी ठीकरवास, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
4. श्रीमती मीना पुत्री गणेशलाल जी पत्नी सुरेश जी भाट, निवासी ठीकरवास, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

.... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0काश्त0
अधिनियम1955विरूद्ध निर्णय व डिक्री
उपखण्डअधिकारी,भीमदिनांक
30.05.2016प्रकरण संख्या 114/2014

———::———

उपस्थित (वक्त बहस) :–1–श्री श्याम सुन्दर पालीवाल अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री बसन्त कुमार पालीवाल अभिभाषक रेस्पोन्डेन्टगण

———::———

निर्णयदिनांक31–08–2023

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्टगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया किमौजा घाटा में डूंगा वल्द अन्ना, जाति ढोली के खाते में आराजी नंबर 656 से 662 व 671 कुल किता 8 रकबा 7 बीघा 13 बिस्वा भूमि दर्ज थी, जिसने अपने आवश्यकता के लिए बिल एवज 2000/– में रजिस्टर्ड विक्रय वादीगण के पिता गणेशलाल को दिनांक 29–12–1973 में कर कब्जा सिपुर्द कर दिया, तभी से वादीगण मौके पर काबिज हैं। [illegible] जियात के हाल आराजी नंबर 536, 563, 564, 569, 789 से 795 कुल किता 11 रकबा 16 बीघा 10 बिस्वांसी हैं, जिसका

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2023.09.13 12:35:18 IST
Reason: SelfAttested

नामान्तरकरण संख्या 182 भी खोला गया, जिसे सवंत् 2048 से 2051 के खेवट में दर्ज है, किन्तु संवत् 2052 से 2055 की नई खेवट में भूलवश या जानबूझकर वादीगण के नाम दर्ज नहीं की, जबकि वादीगण निरन्तर उक्त आराजियात पर काबिज चले आ रहे हैं, जिससे प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी वे खातेदार हो चुके हैं। अतः वाद वर्णित आराजियात का वादीगण को खातेदारी घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर अपने निर्णय दिनांक 30–05–2016से वादीगण का वाद स्वीकार कर प्रतिवादीगण का नाम हटाकर वादीगण का नाम दर्ज करने का आदेश दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 05–01–2022 कोप्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 की ओर से उनके अधिवक्ता श्री बसन्त कुमार पालीवाल उपस्थित हुए। अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गयी, जो पत्रावली के रेकार्ड पर है।अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं थी। अपीलान्ट की माता सायरीबाई का देहान्त दिनांक 21–12–2019 को हो गया एवं उसके बाद लॉकडाउन होने से अपीलान्ट अगस्त 2021 में पटवारी से मिला तो उसे उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। अपीलान्ट द्वारा जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। देरी का पर्याप्त कारण है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करते हुए अपील अन्दर अवधि शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि अपील करीब 6 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है एवं देरी का कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया है। अतः अपील बेरून मयाद होने से इसी आधार पर खारिज की जावे।

हमने उक्त आवेदन का अवलोकन कर बहस पर मनन किया। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2023.09.13 12:35:18 IST
Reason: SelfAttested

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को वक्त बहस पुनः दोहराते हुए बताया कि राजस्व लोक अदालत की सूचना मिलने पर अपीलान्ट व उसकी स्वर्गीय माता सायरी कैम्प में गये, जहां कर्मचारियों ने उनकी उपस्थिति के अंगूठे की निशानी व हस्ताक्षर करवाये। अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट में कभी भी राजीनामा नहीं हुआ, न ही कोई लिखा–पढ़ी हुई, केवल मात्र उनकी उपस्थिति के हस्ताक्षर करवाये गये हैं। रेस्पोन्डेन्ट के पक्ष में कोई विक्रय पत्र निष्पादित नहीं किया गया है, फर्जी एवं अवैध दस्तावेज के आधार पर रेस्पोन्डेन्ट/वादीगण ने मिलीभगत से वाद डिक्री करा लिया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय वडिक्री निरस्त फरमायी जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने आपसी राजीनामे के आधार पर रेस्पोन्डेन्ट/वादीगण का वाद डिक्री किया है,जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमनेविद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र एवं आपसी राजीनामें के आधार पर रेस्पोन्डेन्ट/वादीगण का वाद डिक्री किया है। स्वयं अपीलान्ट/प्रतिवादी पप्पूराम के आदेशिका पर हस्ताक्षर हैं तथा उसकी माता सायरीबाई की अंगूठा निशानी है। ऐसी स्थिति में उनका यह कथन कि राजस्व कैम्प में कर्मचारियों ने धोखे से उनके अंगूठा निशानी व हस्ताक्षर करवाये उचित प्रतीत नहीं होता है। हम राजीनामें एवं रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं। ऐसी स्थिति में अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 30–05–2016यथावत रखी जाती है। डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 31–08–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2023.09.13 12:35:18 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस.** .....

पप्पू उर्फ प्रभू पिता डुंगाराम जी ढोली, बनाम**सत्यनारायण पिता गणेशलाल जी भाट,**
निवासी घाटा तीतरी, तहसील भीम,निवासी टाडगढ़, तहसीलब्यावर, जिला
जिला राजसमन्द **अजमेर व अन्य**

अपील नं.....**1 / 2022**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी .....**
.....**भीम**.....मुकाम.....मुवर्खे.....**30**.....माह.....**05**.....**2016**.....

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**31**.....माह.....**08**.....सन् **2023** रूबरू.....**पक्षकारान**
व हाजरी.....**श्री श्याम सुन्दर पालीवाल**.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री बसन्त कुमार पालीवाल**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.....**अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 30–05–2016 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .....**X**.....
.
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का.....**X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**31**.....माह.....**08**.....**2023** को जारी किया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2023.09.13 12:35:18 IST
Reason: SelfAttested